न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, R.A.S.
Camp- Chak 18 G G

वादपत्र संख्या 41/2018
अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. परविन्द्रसिंह,
2. अरविन्द्रसिंह एवं आत्मजन श्री सन्तोखसिंह, खत्रीसिख, चक 2 एल एल धालेवाली तहसील व जिला श्रीगगानगर
3. श्रीमती परमजीतकौर धर्मपत्नी श्री सन्तोखसिंह, खत्रीसिख, चक 2 एल एल धालेवाली तहसील व जिला श्रीगगानगर

...वादीगण

बनाम

1. सन्तोखसिंह उर्फ सन्तोषसिंह आत्मज श्री संतासिंह, खत्रीसिख, चक 2 एल.एल. धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
2. श्रीमती रितूरानी,
3. श्रीमती सिमरजीतकौर आत्मजन श्री सन्तोखसिंह, खत्रीसिख, चक 2 एल.एल. धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
4. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर एवं
5. शाखा प्रबनक, इलाहबाद बैंक, शाखा–उदाराम चौक, श्रीगंगानगर

..प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री संजय जनवेजा (वादीगण)
श्री रोबिन गुम्बर (प्रतिवादी–1से3)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–4)

दिनांक 1 जून, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 2 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 101 मुरब्बा नम्बर 49 की कुल 3.099 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व अभिलेखानुसार प्रतिवादी संख्या 1 के ना पर दर्ज है जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पत्ति है. जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक व हिस्सा बनता है. चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादी से प्राकृतिक स्नेह रखती हैं तथा पैतृक कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा प्राप्त नही करना चाहती इसलिये उनके द्वारा मौखिक रूप से अपने पैतृक अधिकारों का परित्याग किया हुआ है. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी पैतृक सम्पत्ति का घरू तौर पर बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार वादी संख्या 1 व 2 को 1.101 हैक्टर कृषि भूमि बहिस्सा बराबर बराबर एवं वादी संख्या 3 को 0.999 हैकटर कृषि भूमि दी गयी है जिस पर पक्षकारान अपने अपने हिस्सा के अनुसार कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण को कथन किया गया

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

कि जब भी वे चाहेंगे, सहमति से बंटवारा उनके नाम पर दर्ज करवा देंगे, इसी विश्वास कर वादीगण द्वारा अपने अपने हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि पर मेहनत करते हुऐ रूपया खर्च कर सुधार कार्य करवाये गये हैं किन्तु पैतृक सम्पत्ति में से दी गयी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज होने के कारण वादीगण सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिये वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार विधिवत बंटवारा कर उनके हिस्सा की कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में उनके नाम पर दर्ज करवाने के कथन किये गये तथा प्रतिवादी द्वारा टालमटोल करते हुऐ दिनांक 5 अप्रेल, 2018 को वादीगण के हिस्सा की कृषि भूमि वादीगण के नाम दर्ज करवाने से साफ इन्कार कर दिया गया. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को उनका हक एवं न्याय नहीं देना चाहता है ऐसी स्थिति में पैतृक सम्पत्ति में से वादीगण अपने अधिकारों की घोषणा करवाना चाहते हैं जिसके लिये वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया. यही वाद हेतुक वादीगण को उपलब्ध है. इस प्रकार वादीगण द्वारा चक 2 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 101 मुरब्बा नम्बर 49 की 3.099 हैक्टर कृषि भूमि में से 1.101 हैक्टर कृषि भूमि का वादी संख्या 1 एवं 2 को एवं 1.988 हैक्टर वादी संख्या 3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार घोषित करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 2 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070 एवं चक 2 एल.एल. के नामान्तरकरण संख्या 210 की चित्रित प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 4 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 5 की तलबी हेतु जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त होने पर भी प्रतिवादी संख्या 5 उपस्थित नही आने के कारण प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी.

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 23 अप्रेल, 2018 प्रस्तुत किया गया. वादीगण की शिनाख्त अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की शिनाख्त अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर द्वारा की गयी. इसके अतिरिक्त, वादी संख्या 1 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 5868 0308 6395, वादी संख्या 2 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 3248 5071 1942, वादी संख्या 3 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 7419 3578 5470, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 9870 6448 7907, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 9113 8719 9311 एवं प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 2550 6205 7962 की स्वः प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी. अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया.

प्रतिवादी संख्या 4 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वादपत्र कैम्प– बुर्जवाला में दिनांक 23 मई, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके पक्षकारान मिलीभगत कर भूमि का विभाजन करवाना चाते हैं

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

जिससे राज्य सरकार को स्टाम्प डयूटी की क्षति होती है ऐसी स्थिति मे, वादपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया.

धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खातेदार कृषक परस्पर सहमति से अपने परिवार के सदस्यों में विभाजन करवा सकता है ऐसी स्थिति में, पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के परिदृश्य विवाद्यकों का निर्धारण अपेक्षित नही है. पक्षकारान द्वारा राजीनामा के समर्थन में प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये. जिनमें से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा अंकित किया गया कि प्राकृतिक स्नेह वश कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं तथा अपने हिस्सा का परित्याग करती हैं.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम, 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वादपत्र डिक्री किया जाता सकता है. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है. इसके अतिरिक्त धारा 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसरण में राजीनामा/लोक अदालत प्रकरणों के निस्तारण का एक सुदृढ वैकल्पिक साधन/तरीका है. विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तों के अनुसार सहमति के आधार पर जोत के विभाजन के मामलों में राजस्व अधिकारी इस तरह की आपत्ति नही लगाये कि सह कृषकों ने बंटवारा में अपने हिस्सा कम–अधिक क्यों कर लिया. ऐसी स्थिति में, प्रस्तुत चक 2 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070 एवं चक 2 एल.एल. के नामान्तरकरण संख्या 210 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज 3.099 हैकटर कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादीगण जन्म से ही हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राजीनामा दिनांक 23 अप्रेल, 2018 के अनुरूप पक्षकारान अपने अपने हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी हैं.

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 23 अप्रेल, 2018 के अनुरूप **वादी श्री परविन्द्रसिंह को** – चक 2 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 101 मुरब्बा नम्बर 49 की कुल 3.099 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल में से 0.551 हैक्टर कृषि भूमि, **वादी संख्या 2 श्री अरविन्दसिंह को** – चक 2 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 101 मुरब्बा नम्बर 49 की कुल 3.099 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल में से 0.551 हैक्टर कृषि भूमि, **वादी संख्या 3 श्रीमती परमजीतकौर को** – चक 2 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 101 मुरब्बा नम्बर 49 की कुल 3.099 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल में से 0.998 हैक्टर कृषि भूमि एवं **प्रतिवादी**

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

संख्या 1 श्री सन्तोखसिंह उर्फ सन्तोषसिंह को – चक 2 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 101 मुरब्बा नम्बर 49 की कुल 3.099 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल में से 0.999 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल का खातेदार घोषित किया जाता है. प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 द्वारा अपने पैतृक अधिकारों का परित्याग करने के परिणामतः परित्याग विलेख पर प्रभावी स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की अदायगी एवं प्रश्नगत कृषि भूमि ऋणमुक्त होने पर ही डिक्री की क्रियान्विती होगी. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले लोक अदालत कैम्प– चक 18 जी.जी. में आज दिनांक 1 जून, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, R.A.S.

1. परविन्द्रसिंह,
2. अरविन्द्रसिंह एवं आत्मजन श्री सन्तोखसिंह, खत्रीसिख, चक 2 एल एल धालेवाली तहसील व जिला श्रीगगानगर
3. श्रीमती परमजीतकौर धर्मपत्नी श्री सन्तोखसिंह, खत्रीसिख, चक 2 एल एल धालेवाली तहसील व जिला श्रीगगानगर

...वादीगण

बनाम

1. सन्तोखसिंह उर्फ सन्तोषसिंह आत्मज श्री संतासिंह, खत्रीसिख, चक 2 एल.एल. धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
2. श्रीमती रितूरानी,
3. श्रीमती सिमरजीतकौर आत्मजन श्री सन्तोखसिंह, खत्रीसिख, चक 2 एल.एल. धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
4. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर एवं
5. शाखा प्रबनक, इलाहबाद बैंक, शाखा–उदाराम चौक, श्रीगंगानगर

..प्रतिवादीगण

वादपत्र संख्या 41 / 2018
अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा, श्री रोबिन गुम्बर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं पैरोकार राज (प्रतिवादी–4) की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वादी श्री परविन्द्रसिंह को – चक 2 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 101 मुरब्बा नम्बर 49 की कुल 3.099 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल में से 0.551 हैक्टर कृषि भूमि, **वादी संख्या 2 श्री अरविन्दसिंह को** – चक 2 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 101 मुरब्बा नम्बर 49 की कुल 3.099 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल में से 0.551 हैक्टर कृषि भूमि, **वादी संख्या 3 श्रीमती परमजीतकौर को** – चक 2 एल. एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 101 मुरब्बा नम्बर 49 की कुल 3.099 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल में से 0.998 हैक्टर कृषि भूमि एवं **प्रतिवादी संख्या 1 श्री सन्तोखसिंह उर्फ सन्तोषसिंह को** – चक 2 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 101 मुरब्बा नम्बर 49 की कुल 3.099 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल में से 0.999 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल का खातेदार घोषित किया जाता है. प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 द्वारा अपने पैतृक अधिकारों का परित्याग करने के परिणामतः परित्याग विलेख पर प्रभावी स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की अदायगी एवं प्रश्नगत कृषि भूमि ऋणमुक्त होने पर ही डिक्री की कियान्विती होगी.

वाद व्यय शून्य वास्ते....शून्य......खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज...शून्य... ...दर वार्षिक ...शून्य........आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 1 जून, 2018 को जारी की गयी.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर